

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 34/2025

(Bank Case)

GCMS No. 2025/212

आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड ब्रांच ऑफिस— तृतीय तल, जे.एस.ई.एल. बिल्डिंग, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान-302001 में स्थित व कार्यरत है। जयें प्राधिकृत अधिकारी श्री राजेन्द्र शर्मा।

— प्रार्थी /सिक्वोर क्रेडिटर

बनाम

1. मोहम्मद अतीक पुत्र श्री मोहम्मद सिद्दीकी —(ऋणी /बंधककर्ता)
पता— प्लॉट नम्बर 3, अमन कॉलोनी, विज्ञान नगर, कोटा (राज0)—324009
अन्य पता— प्लॉट नम्बर 3, अमन कॉलोनी, ग्राम— चत्रापुरा, खसरा नम्बर 54 /97, विज्ञान नगर, कोटा (राज0)—324009
2. मोहम्मद अख्तर —(सह—ऋणी)
पता— प्लॉट नम्बर 3, अमन कॉलोनी, विज्ञान नगर, कोटा (राज0)—324009
अन्य पता— प्लॉट नम्बर 3, अमन कॉलोनी, ग्राम— चत्रापुरा, खसरा नम्बर 54 /97, विज्ञान नगर, कोटा (राज0)—324009
3. आलीया अख्तर —(सह—ऋणी)
पता— प्लॉट नम्बर 3, अमन कॉलोनी, विज्ञान नगर, कोटा (राज0)—324009
अन्य पता— प्लॉट नम्बर 3, अमन कॉलोनी, ग्राम— चत्रापुरा, खसरा नम्बर 54 /97, विज्ञान नगर, कोटा (राज0)—324009
अन्य पता:— वसीम ट्रेडर्स के पीछे, विज्ञान नगर, अमन कॉलोनी, इन्द्रपुरा, कोटा — अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित:-

श्री कुलदीप सिंह जादौन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 28.01.2026


संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड जिसका जिसका ब्रांच ऑफिस— तृतीय तल, जे.एस.ई.एल. बिल्डिंग, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान-302001 में स्थित व कार्यरत है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 31.03.2021 को खाता संख्या LBKOT00005585284 में रूपये 1,09,00,000/—(अक्षरें: एक करोड़, नौ लाख रूपये मात्र) एवं खाता संख्या LBKOT00005749988 में रूपये 21,80,000/—(अक्षरें: इक्कीस लाख अस्सी हजार रूपये मात्र) इस प्रकार कुल ऋण रूपये 1,30,80,000/— (अक्षरें: एक करोड़, तीस लाख अस्सी हजार रूपये मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्वोरिटी के रूप में श्री मोहम्मद अतीक पुत्र श्री मोहम्मद सिद्दीकी की एक आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 3, अमन कॉलोनी, ग्राम— चत्रापुरा, खसरा नम्बर 54 /97, विज्ञान नगर, कोटा (राज0)—324009 में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 166.66 वर्ग गज है। जिसकी चर्तुःसीमाएँ पूरब में— रास्ता, पश्चिम में— रास्ता, उत्तर में— भू0सं0 4, दक्षिण में— भू0सं0 2, है को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 06.05.2025 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा उसके खातों में 1,13,61,452.88/—(अक्षरें एक करोड़, तेरह लाख, इकषठ हजार चार सौ बावन रूपये एवं अठयासी पैसे मात्र) बकाया रकम दिनांक 02.07.2025 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी

को दिनांक 02.07.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं संभलाया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 02.07.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 02.07.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता श्री मोहम्मद अतीक पुत्र श्री मोहम्मद सिद्दीकी की एक आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 3, अमन कॉलोनी, ग्राम- चत्रापुरा, खसरा नम्बर 54/97, विज्ञान नगर, कोटा (राज०)-324009 में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 166.66 वर्ग गज है। जिसकी चर्तुःसीमाएँ पूरब में- रास्ता, पश्चिम में- रास्ता, उत्तर में- भू०सं० 4, दक्षिण में- भू०सं० 2, का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। इस आदेश की क्रियान्विति आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह बाद की जावें।

आदेश आज दिनांक 28.01.2026 को सुनाया गया।


(धियूष सैयारिया)
जिला मजिस्ट्रेट कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

